"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2011—आषाढ़ 10, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अर्जुन एक्का पिता सुखरा एक्का, आयु 39 वर्ष, निवासी-ब्लाक-16/जी, सड़क -एवेन्यू डी, पुराना रशियन ब्लाक, सेक्टर -6, भिलाई, तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में एस. एम. एस. -II सी. सी. एस. आपरेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं. मेरी पुत्री कु. हर्षला एक्का का नाम भूलवश मेरे बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड एवं मेडिकल बुक में कु. अनामिका एक्का दर्ज हो गया है, जिसे सुधार करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरी पुत्री को कु. हर्षला एक्का आत्मजा-अर्जुन एक्का के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. अनामिका एक्का आत्मजा-अर्जुन एक्का निवासी-ब्लाक-16/जी, सड़क -एवेन्यू-डी पुराना रशियन ब्लाक, सेक्टर 6, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	कु. हर्षला एक्का आत्मजा-अर्जुन एक्का निवासी-ब्लाक-16/जी, सड़क -एवेन्यू-डी पुराना रशियन ब्लाक, सेक्टर 6, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अजहर ख्वाजा वल्द जहीरूद्दीन ख्वाजा, आयु 25 वर्ष, निवासी-एल. आई. जी. III शंकरनगर, सेक्टर -2, रायपुर, तह. व जिला -रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक रिकार्ड एवं अन्य अभिलेखों में मेरा नाम "अजहरूद्दीन ख्वाजा वल्द जहीरूद्दीन ख्वाजा" दर्ज है, को परिवर्तित कर मैं अपना नाम "अजहर ख्वाजा" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे अजहर ख्वाजा वल्द जहीरूद्दीन ख्वाजा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
अजहरूद्दीन ख्वाजा वल्द-जहीरूद्दीन ख्वाजा निवासी-एल. आई. जी. III शंकर नगर, सेक्टर -2, रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	अजहर ख्वाजा वल्द-जहीरूद्दीन ख्वाजा निवासी-एल. आई. जी. III शंकर नगर, सेक्टर -2, रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अतिक जैन पिता श्री अनिल जैन, उम्र-21 वर्ष, निवासी-21 सिविक सेन्टर, भिलाई, तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य अभिलेखों में मेरा नाम-अतिक बैद पिता श्री अनिल बैद एवं माता-ममता बैद दर्ज हो गया है. जिसे सुधार कर मैं अपना वास्तविक नाम अतिक जैन पिता श्री अनिल जैन एवं माता-श्रीमती ममता जैन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे अतिक जैन पिता श्री अनिल जैन एवं माता श्रीमती ममता जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
अतिक बैद पिता-श्री अनिल बैद माता-श्रीमती ममता बैद निवासी-21 सिविक सेक्टर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	अतिक जैन पिता-श्री अनिल जैन माता-श्रीमती ममता जैन निवासी-21 सिविक सेक्टर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 4 जून 2011

क्रमांक/उपंको/परि./2011/294.—डायमंड कोसा बुन. सहकारी समिति मर्या., कोरबा, वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 3127 दिनांक 17-6-1983 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./1995/1750 दिनांक 24-6-95 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा डायमंड कोसा बुनकर सहकारी समिति मर्या., कोरबा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए डायमंड कोसा बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, कोरबा, विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 3127 दिनांक 17-6-83 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-06-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 4 जून 2011

क्रमांक/उपंको/परि./2011/295.—जय (माता दी) भवानी उप. सहकारी समिति मर्या., परसाभांठा, वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 3462 दिनांक 5-3-1992 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./1994/282 दिनांक 3-2-94 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा जय (माता दी) भवानी उप. सहकारी समिति मर्या., परसाभांठा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए जय (माता दी) भवानी उप. सहकारी समिति मर्यादित, परसाभांठा, विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 3462 दिनांक 05-03-1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-06-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 4 जून 2011

क्रमांक/उपंको/परि./2011/296.— उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., कोरबा, वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 885 दिनांक 27-5-1959 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./1994/282 दिनांक 3-2-94 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., कोरबा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित, कोरबा, विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 885 दिनांक 27-5-1959 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-06-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 4 जून 2011

क्रमांक/उपंको/परि./2011/297.— सर्वोदय कोसा सहकारी समिति मर्या., उमरेली, वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 2899 दिनांक 15-11-73 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./1995/1750 दिनांक 24-06-95 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा सर्वोदय कोसा सहकारी समिति मर्या., उमरेली की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अतः मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए सर्वोदय कोसा सहकारी समिति मर्यादित, उमरेली, विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 2899 दिनांक 15-11-73 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-06-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 4 जून 2011

क्रमांक/उपंको/परि./2011/298.— गायत्री प्राथ. उप. भंडार सहकारी समिति मर्या., रजगामार, वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 3461 दिनांक 07-02-92 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./1994/282 दिनांक 03-02-94 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा गायत्री प्राथ. उप. भंडार सहकारी समिति मर्या., रजगामार की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अतः मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए गायत्री प्राथ. उप. भंडार सहकारी समिति मर्यादित, रजगामार, विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 3461 दिनांक 07-02-1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-06-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.